2024/60

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — **बनाम** — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री कान्तिलाल उपाध्याय
निवासी ब्रह्मपुरी मोहल्ला सांतपुर
तहसील आबूरोड
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
सचिव नगर सुधार न्यास आबू

किस्म मुकदमा— अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 — मुकदमा नं. 16 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
08.04.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को दिनांक 19.02.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 07.04.2023 व 03.11.2023 को श्री दीपक पुत्र श्री मनहर लाल निवासी दानवाव द्वारा नगर सुधार न्यास के अधिकारियों के सहयोग एवं सांठ–गांठ से न्यास की भूमि में अवैध बॉम्बे सुपर मार्केट के निर्माण बाबत शिकायत की गई उक्त शिकायत पर की गई कार्यवाही एवं प्रोसेडिंग की प्रमाणित प्रति एवं दिनांक 04.11.2023 को श्री दीपक पुत्र श्री मनहर द्वारा गांव कारोली पटवार हल्का आमथला में स्थित खसरा संख्या 234 व 397 किस्म गैर मुमकिन नाला की भूमि में अवैध सडक निर्माण कर उक्त भूमि के मूल स्वरूप को खत्म करने से सम्बन्धित शिकायत की गई उक्त शिकायत पर की गई कार्यवाही एवं इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित अन्य बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिये है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को दिनांक 19.02.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 07.04.2023 व 03.11.2023 को श्री दीपक पुत्र श्री मनहर लाल निवासी दानवाव द्वारा नगर सुधार न्यास के अधिकारियों के सहयोग एवं सांठ–गांठ से न्यास की भूमि में अवैध बॉम्बे सुपर मार्केट के निर्माण बाबत शिकायत की गई, उक्त शिकायत पर की गई कार्यवाही एवं प्रोसेडिंग की प्रमाणित प्रति एवं दिनांक 04.11.2023 को श्री दीपक पुत्र श्री मनहर द्वारा गांव कारोली पटवार हल्का आमथला में स्थित खसरा संख्या 234 व 397 किस्म गैर मुमकिन नाला की भूमि में अवैध सडक निर्माण कर उक्त भूमि के मूल स्वरूप को खत्म करने से सम्बन्धित शिकायत की गई उक्त शिकायत पर की गई कार्यवाही एवं इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित अन्य बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Shubham Chaudhary Date: 2024.05.28 18:12:30 IST Reason: SelfAttested (शुभम चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner